पत्रांकः– 14/ए0एफ0–17/2015...–968

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक 18/09/2020

विषयः– महावीर उपाध्याय मेमोरियल डिग्री कॉलेज, ढाका पूर्वी चम्पारण को स्नातक कला एवं वाणिज्य संकायो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों में सत्र 2020–2023 एवं 2021–2024 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक–B/727 दिनांक 27.05.2020, तथा पत्रांक–B/1096 दिनांक–01.09.2020 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा–21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या–1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक–14.12.2017 एवं पत्रांक–3074 दिनांक–25.10.2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने महावीर उपाध्याय मेमोरियल डिग्री कॉलेज, ढाका पूर्वी चम्पारण, को स्नातक कला एवं वाणिज्य संकायो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों के प्रस्तावित विषयों में सत्र 2020–2023 एवं 2021–2024 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध मे सहमति प्रदान की है।

क्र0 सं0	संकाय	विषय
01	कला संकायः (पास एवं प्रतिष्ठा स्तर में)	हिन्दी, अंग्रेजी, ऊर्दू, संस्कृत, मैथिली, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, संगीत,ग्रामीण अर्थशास्त्र, इतिहास एवं गणित। (कुल 16 विषयों में)
02	वाणिज्य संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा स्तर में)	एकाउन्टेन्सी, बिजनेस फाइनान्स, बिजनेस इन्वॉरमेन्ट तथा कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन (कुल 04 विषयों में)

यह आदेश विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। साथ ही एल0पी0ए0 संख्या–1404/2018 में विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में दायर M.J.C के फलाफल से उक्त आदेश प्रभावित होगा।

सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

विश्वासभाजन

17/9/2020

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

Sec_14#2020